(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 07/2024-State Tax (Rate)

Dated: 08/01/2025

No. F.3 (21)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/34. In exercise of the powers conferred by subsection (1), sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 11/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 8,

(i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)		(4)	(5)
"(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	ť	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken.
(ii) in column (3) in item (vii) after the			[Please refer to clause (iv) of paragraph a relating to Explanation].".

⁽ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures "(iva),", the brackets and figures "(ivb)," shall be inserted.

This notification shall come into force with effect from the 10thday of October, 2024.

Note: -The principal notification number 11/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 12/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (05)/Fin(Exp-I)/2024-25/DS-I/694, dated 14th August, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या- 07/2024-राज्य कर (दर)

दिनांकः ि / 2025 सं.फा.3(21) / वित्त(व्यय—I) / 2024—25 / डीएस—I / ॐ .— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, सरकार की अधिसूचना संख्या 11 / 2017— राज्य कर (दर), जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप—खंड (1) में सं.फा. 3(15) / वित्त (राजस्व—1) / 2017—18 / डीएस—VI / 381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या ८ के समक्ष,

(i) मद (ivक) और स्तंभ (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और स्तंभ (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

(3)	(4)	(5)
"(ivख)यात्रियों का, सामान के साथ या उसके बिना, हवाई मार्ग से, सीट शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर में परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा आपूर्ति में प्रयुक्त माल पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 के खंड (iv) का संदर्भ लें)।

(ii) स्तंभ (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक "(ivक)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक "(ivख)" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2 यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

नोटः — मूल अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप—खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, सं.फा. 3(15)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023—राज्य कर (दर), दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप—खंड (i) में प्रकाशित, सं.फा. 3 (05)/वित्त (व्यय—I)/2024—25/डीएस—I/694, दिनांक 14 अगस्त, 2024 के तहत संशोधित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्रं कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त)